प्रेसनोट जनपद हापुड

दिनॉकःअक्टूबर15,2020

थाना हापुड देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 438/18 धारा 302,307,201,376(डी),394 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्तगण 1. अंकुर तैली पुत्र आसेराम 2. सोनू उर्फ पव्वा पुत्र गोपाल को माननीय न्यायालय एडीजे/ विशेष न्यायधीश (पाक्सो अधि0) हापुड द्वारा मृत्यु दण्ड तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः– वादी श्री सोनू यादव पुत्र जग्गन यादव नि0 मौ0 फूलगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड द्वारा दिनांक 05.09.18 को अभियुक्तगणो द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री की बलात्कार करने के बाद मृत्यु कर शव को छिपा देने तथा उसके नाबालिग पुत्र का जान से मारने कि नियत से गला काट कर, घायल करके सोने व चादी तथा नकदी लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 438/18 धारा 302,307,201,376(डी),394 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट दिनांक 05. 09.18 को अभि0 अंकुर तैली पुत्र आसेराम नि0 फूलगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड व सोनू उर्फ पव्वा उर्फ बाडी पुत्र गोपाल नि0 पानवाली गली मौ0 नवीकरीम थाना हापुड नगर जनपद हापुड के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। विवेचना में भौतिक एवं फोरेसिंक साक्ष्यो को संकलित कर कुल 18 गवाह बनाये गये। विवेचना में धारा 120 बी व 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा तीसरे अभि0 अमरजीत उर्फ कलवा पुत्र राजपाल यादव नि0 फूलगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड का नाम विवेचना का मध्य प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में लूटे गये माल की शत–प्रतिशत बरामदगी कर विवेचक द्वारा तीनो अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 474/18 दिनांक 27.10.18 को प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग का विचारण एसटी न0 89/18 के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रारम्भ हुआ । संगीन अपराध होने के कारण अभियोजन में पुलिस तथा जनता के गवाहो की समयबद्ध रुप से पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कराकर गवाही करायी गयी तथा फोरेसिंक व अन्य मेडिकल रिपोर्टो समय से विचारण में उपलब्ध करायी गयी । जिस कारण से उक्त अभियोग में कम समय में माननीय न्यायलय द्वारा अपना निर्णय दिया गया।

आज दिनांक 15.10.2020 को माननीय न्यायालय एडीजे/ विशेष न्यायधीश (पाक्सो अधि0) हापुड ने उक्त अभियोग के विचारण में अपने फैसले में अभियुक्तगण 1. अंकुर तैली पुत्र आसेराम नि0 फूलगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड 2. सोनू उर्फ पव्वा पुत्र गोपाल नि0 पान वाली गली मौ0 नवीकरीम थाना हापुड नगर जनपद हापुड दोनो को मृत्यु दण्ड तथा अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

जिससे मुकदमा उपरोक्त में पीडित परिवार को समय से न्याय मिला व अपराधियों को सजा हुई।